



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



13 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 247 राँची, शुक्रवार,

3 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 मार्च, 2024

संख्या-5/आरोप-1-49/2023 का०- 1654--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री पारितोष कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-726/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के विरुद्ध उपायुक्त के विलोपित आदेश पत्र को गलत मंशा से छिपाने एवं बार-बार पूर्व के पत्र का उल्लेख करने, वंशावली से संबंधित रैयतों को बिना सुनवाई किये गलत मंशा से बंटननामा के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करने, मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में निहित निर्देशों का जानबूझकर विभागीय पत्र की अवहेलना करते हुए भुगतान की कार्रवाई करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-1185, दिनांक-22.12.2023 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2 श्री ठाकुर के विरुद्ध प्राप्त उपर्युक्त आरोप पत्र पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

3. अतः श्री ठाकुर के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

4 तदनुसार एतद् द्वारा श्री ठाकुर को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

5. श्री ठाकुर द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. श्री ठाकुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
